ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति

ग्राम लीलासी कलां, तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

दिनांक : 5 जून 2018

सेवा में,

माननीय वनमंत्री,

श्री दारा चौहान,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

विषय : जनपद सोनभद्र के ग्राम लीलासी थाना म्योरपुर में पुलिस द्वारा वनाधिकार कानून 2006 के क्रियान्वन को बाधित करने के लिए आदिवासी महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट, लड़कियों के साथ छेड़खानी व दबंगों के शह पर हिंसा

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि गत 27 मार्च 2018 को हम लोग अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन के पदाधिकारीयों के साथ आठ जिलों से एक प्रतिनिधि मंड़ल आपके आवास पर संसद द्वारा पारित वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने की समस्याओं को लेकर मिला था। जिसमें हमने आपको अवगत कराया था कि कानून के प्रभावी क्रियान्वन के न होने पर कई जिलों में खासतौर पर सोनभद्र, चन्दौली, ललितपुर, महराजगंज आदि में वनविभाग द्वारा वनाश्रित समुदाय का उत्पीड़न किया जा रहा है व बेदखली की कार्यवाही की जा रही है जो कि कानून की प्रस्तावना की मंशा के खिलाफ है व संविधान में आदिवासीयों की सुरक्षा के प्रावधानों के भी खिलाफ है। जनपद सोनभद्र में 18 व 22 मई 2018 को म्योरपुर थाना की पुलिस व वनविभाग ने आदिवासी महिलाओं के साथ बर्बरता की व उनके साथ मारपीट की। पुलिस के साथ कोई भी महिला पुलिस अधिकारी नहीं थी। 18 मई 2018 को पुलिस द्वारा 10 महिलाओं को यह आरोप लगा कर गिरफतार किया कि महिलाओं द्वारा पेड़ काटे गए हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के हस्तक्षेप से उन महिलाओं को छोड़ा गया लेकिन उसके बाद पुनः 22 मई 2018 को सुबह म्योरपुर एसओ सत्यप्रकाश सिंह के द्वारा पुलिस बल के साथ ग्राम लीलासी में ग्राम वनाधिकार समिति की सचिव श्रीमति किस्मती गोंण के घर में घुस कर उन्हें लाठी से सिर पर वार किया जिससे वे घायल हो गई व नौजवान लड़कियों सुनीता 15 वर्ष, अनिता 13 वर्ष पुत्री नंदू गोंड़ को दौडा कर उनके साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद सुखदेव गोंण के घर पर जा कर उसे मारने पीटने लगे। सुखदेव गोंण उस समय अपने जानवरों के लिए भूसा लगा रहे थे। सुखदेव की पुत्री दिलबस 25वर्ष को टांग पर वार किया व एक अन्य महिला सोहद्री पत्नी केशव राम 60 वर्ष को भी मारा। ऐसे ही पुलिस जिसे पा रही थी उसे मार रही थी। गांव के लोग यह नहीं

समझ पा रहे थे कि आखिर उनका अपराध क्या है जिसकी वजह से पुलिस उनपर बर्बरपूर्ण लाठी चला रही है। पुलिस के इस अत्याचार से ग्रामीण महिलाए आक्रोशित हो गई व उन्होंने पुलिस की इस कार्यवाही का जमकर विरोध किया। महिलाओं को आक्राशित देख पुलिस भागने लगी जिस से एसओ व सिपाही भागते हुए गिर गए व उनको चोटें आ गई।

पुलिस द्वारा यह आरोप लगाया गया कि महिलाओं द्वारा जंगल में जाकर पेड़ काटे गए तथा महिलाओं द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। लेकिन इस घटना को लेकर अभी तक जिलाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई और न ही कोई उच्च अधिकारी अभी तक मौके पर हम लोगों से बात करने आया। बल्कि पुलिस व वनविभाग द्वारा हमें डराया धमकाया जा रहा है जिसके कारण हम अपने घर में नहीं रह पा है व न ही अपनी सच्चाई को कही बता पा रहे हैं।

इस घटना के पीछे कई राजनैतिक कारण है जिसके बारे में हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेगें। हमारे द्वारा द्वारा गत 23 मार्च 2018 शहीद–ए–आज़म भगतसिंह की पुण्यतिथि पर वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वनसंसाधन के दावे जनपद के दो तहसीलों राबर्टसगंज व दुद्धी के अन्य 16 ग्राम सभाओं के साथ सामूहिक रूप से जिलाधिकारी कार्यालय राबर्टसगंज में उपजिलाधिकारी श्री राजकुमार को सौंपे गए थे। इन दावों में संलग्न दस्तावेज़ की सूचि नीचे दी गई है व ग्राम लीलासी के दावे की प्रति संलग्न है। संलग्न दस्तावेज़ों में पूर्व आई0ए0एस अफसर श्री अमीर हसन द्वारा लिखित ट्राईबल एडमिनिसट्रशंन आफ इंड़िया में उत्तरप्रदेश में वनविभाग द्वारा किस प्रकार ग्राम सभा के जंगल व भूमि हथियाई गई इसका पूरा विवरण दिया गया है। इस दावे में ग्रामीणों ने सामुदायिक वनसंसाधन के तहत लगभग 250 एकड़ भूमि पर अपना दावा किया है। उक्त जंगल व भूमि आदिवासीयों के पूवर्जो की समय से जोत कोड़ की थी जिसपर लगभग 15 वर्ष पूर्व वनविभाग द्वारा आदिवासीयों को बेदखल कर दिया गया था। व वनविभाग ने उक्त ग्राम सभा के वनों व वनभूमि को बिना कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण किए भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित कर दिया था। इस सम्बन्ध में वनभूमि का न ही सीमांकन किया गया और न ही इस सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम के अनुसार की गई। आदिवासीयों को बेदखल कर जंगल की भूमि खासतौर पर ग्राम लीलासी के रोड के किनारे व म्योरपुर जाने के रास्ते पर गांव के दबंग व सरहंग जाति के लोगों रामवृक्ष पुत्र लक्ष्मी, प्रदीप पुत्र राजनारायण, रामसेवक यादव, आलम पुत्र देवनारायण, रविकांत पुत्र डा0 लखन, देवेन्द्र पुत्र राधेश्याम, किसान पुत्र राजनारायण, राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीशाह द्वारा वनविभाग और पुलिस की मिली भगत से भूमि रिर्काडो में हेरा फेरी कर कई मकान बना लिए गए हैं।

इस हेराफेरी की सूचना स्थानीय प्रशासन व पुलिस को अच्छी प्रकार से हैं। ग्राम लीलासी के आदिवासी समुदाय द्वारा दावा करने के बाद अपने हकों की मांग कर रहे थे व इस लूट को रोकना चाह रहे थे। जिसे गांव के दबंग व उच्च वर्ग को खतरा महसूस होने लगा कि कहीं उनसे उनके अवैध निर्माण किए गए मकान व अवैध कब्ज़ा न छीन जाए इसी भावना से ग्रसित हो कर गांव के दबंग किस्म के व्यक्ति कुनबिहारी पुत्र विश्वनाथ गोंड़, रामसुन्दर गोंड़ पुत्र जगेश्वर, बदलू गोंड़ पुत्र रामसुन्दर, रामचन्दर पुत्र शोभनाथ, रामप्यारे पुत्र बीरशाह, रामनारायण पुत्र हीरशाह, देवशाह पुत्र

हरिचरण, मोहरसिंह पुत्र गजरू पुलिस के साथ मिल कर महिलाओं को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। जब महिलाओं द्वारा विरोध किया गया तब पुलिस द्वारा यह झूठी कहानी गढ़ी गई कि महिलाओं द्वारा पेड़ काटे गए हैं। इसके साथ आदिवासीयों के बीच काम करे यूनियन के खिलाफ भी पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया कि यूनियन के नेताओं द्वारा महिलाओं को जंगल काटने के लिए उकसाया जा रहा है। बिना किसी जांच के ग्रामीणों पर झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई है व यूनियन के पदाधिकारी रोमा व अशोक चौधरी जो कि जनपद में मौजूद ही नहीं थे उनपर 307 के मुकदमें भा0द0संहिता के तहत दर्ज किए गए हैं जैसा कि अखबारों से खबर प्राप्त हुई है। जो महिलाए घायल हैं उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई बल्कि उन्हें अस्पताल में दवाई तक नहीं मिली व डाक्टरों द्वारा मेडिकल जांच रिपोर्ट बनाने से मना कर दिया गया कहा कि पुलिस रिपोर्ट ले कर आओ तभी मेडिकल रिपोर्ट व दवा होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा गांव के बाहर ही छावनी लगा दी गई है ताकि आदिवासीयों को गांव से बाहर जाने से रोका जा सके व कोई जांच अंदर न आ सके। ऐसी स्थिति में आदिवासी महिलाए अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रही हैं। पुलिस द्वारा मनमानी कार्यवाही कर आदिवासीयों व उनके साथ काम कर रहे संगठन पर संगीन धाराए लगाई जा रही है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है यह ताकतें वनाधिकार कानून को लागू नहीं होने देना चाहते व इसे रोकना चाहते हैं ताकि क्षेत्र के दबंग, चुगले दलाल वनविभाग व पुलिस की मदद से वनभूमि की लूट ज़ारी रख सके। इस मामले में पुलिस अधीक्षक की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए जिनके द्वारा वनाधिकार कानून के मामले में अनदेखी की गई व पुलिस बल को आदिवासीयों के घरों में घुस कर मारने की इजाजत दी गई।

हमें खुशी है कि एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश के अन्य हिस्सों जैसे गोरखपुर, महराजगंज व गोंड़ा में वनाधिकार कानून के तहत उन्हें अधिकार पत्र सौंपे जा रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी और दुख की बात यह है कि वनाछादित जनपदों में वनाश्रित समुदाय के साथ हिंसा बादस्तूर ज़ारी है जो कि एक बार फिर ऐतिहासिक अन्याय की पुर्नावृति है। जैसा कि आपसे बात हुई थी हम चाहते हैं कि एक बार माननीय मुख्य मंत्री व आपका दौरा जनपद सोनभद्र में किया जाए व वनाधिकार कानून को लागू करने की अधूरी पड़ी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कानून की अनदेखी करने वाले दोषी अधिकारीयों से सख्ती से निपटा जाए।

हमारा आपसे अनुरोध है कि –

1. ग्राम लीलासी की वनभूमि की स्थिति क्या है इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए व दबंगों द्वारा वनभूमि पर किए गए अवैध कब्ज़े की जांच की जाए व इन भूमि को
2. महिलाओं पर हुए पुलिस द्वारा हमले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए।
3. ग्रामीणों पर हुए झूठी प्राथमिकी को रदद किया जाना चाहिए व दोषी अधिकारीयों पर वनाधिकार कानून का पालन न करने पर कानून की धारा 7 के तहत व एसटीएससी कानून की धारा 3 (1)(जी) के तहत कार्यवाही कर प्राथमीकी दर्ज की जानी चाहिए।
4. ग्राम लीलासी द्वारा 23 मार्च 2018 को जो सामुदायिक वनसंसाधन का दावा किया है उसके तहत ग्रामीणों को उनके सामुदायिक वनों के अधिकार पत्र सौंपे जाए।

सामुदायिक वनसंसाधन के दावों में सौंपी गई दस्तावेज़ों की सूचि

फाइल नम्बर– 12 ग्राम लीलासी

दस्तावेजों की सूची–

1. ग्राम सभा का प्रस्ताव –
2. सामुदायिक फार्म उपबन्ध–1 प्रारूप–क
3. सामुदायिक वन संसाधनों के लिये हक उपबंध–4
4. सामुदायिक वन संसाधनों के लिये दावा प्रारूप–ग
5. साक्ष्य हेतु बुजुर्गो का बयान–दावेदारों की सूची के साथ
6. दावेदारों की सूची
7. दावा किया गया वन संसाधन का नजरी नक्शा
8. वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन, अनुसूचित जनजाति, अन्य परम्परागत वन निवासी वन भूमि की परिभाषा
9. वनाधिकार कानून 2006 की संशोधित नियमावली 2012
10. कैमूर क्षेत्र में पाये जाने वाले गौण वनोत्पाद की ग्रामीण द्वारा बनायी गयी सूची
11. वन अधिकारों का विवरण, वर्किंग प्लान, 1973–74 से 1982–1983 तक
12. दावाकर्ता विभिन्न आदिवासी समूह का ''गजेटियर मिर्जापुर'' में उल्लेख की प्रति–1908
13. उ0प्र0 में आदिवासी समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय, उत्पीड़न, सरकारी नीतियों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दिया जाने का इतिहास, वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की भूमि का अवैध रूप से हस्तांतरण का इतिहास Tribal Administration in India AMIR~ HASAN, पृष्ठ नं0 –
14. कैमूर दुद्धी क्षेत्र में जनपद सोनभद्र में आदिवासियों के राज का इतिहास '' गजेटियर मिर्जापुर;1908)
15. गौण वनोपज की सूचि एवं पशु, पक्षियों की सूची (कैमूर क्षेत्र)– ''वर्किंग प्लान दुद्धी पोस्टर डिविजन (1964-65-1973-74)
16. जनपद सोनभद्र में धारा 20 में विज्ञप्ति भूमि एवं विज्ञाप्ति की जाने वाली भूमि का विवरण–सोनभद्र वन प्रभाग प्रबन्ध योजना (2001से 2010-2011)
17– अन्य परम्परागत समुदाय के लिये 13 दिसम्बर 2005 से तीन पीढ़ी के निवास के बारे में केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्रालय का 9 जून 2008 का आदेश।
18– न्यायालय में वन विभाग व ग्रामीणों/दावेदारोंमें किये गये मुकदमों की प्रति– साक्ष्य के लिये।

अध्यक्ष सचिव

नंदू गोंड़ किस्मति गोंड़

प्रतिलिपि

प्रमुख वनसचिव